



फोटो

कम्प्यूटर द्वारा जारी लाभपात्र पहचान कोड नं0.....

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा
निःशक्त पेंशन के लिये आवेदन—पत्र

जिला खण्ड/शहर ग्राम/वार्ड आवेदन तिथि

1. प्रार्थी का नाम श्री/श्रीमती पुरुष महिला
 2. पिता/पति का नाम श्री पुत्र श्री
 3. जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र) आयु
 4. पूर्ण स्थाई पता

 5. डाक पिन कोड

--	--	--	--	--	--	--

 6. आधार कार्ड संख्या (आवश्यक है)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 7. आप के गांव/वार्ड में लाभपात्र पेंशन किस माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं ? उस माध्यम के बैंक/डाकखाने/बी0सी0ए0 के पास खाते का विवरण दें। बैंक/डाकखाने का नाम शाखा
 आई0एफ0एस0सी0कोड खाता संख्या
 8. कैटागिरी एस0सी0 बी0सी0 सामाच्य
 9. निःशक्तता का प्रतिशत
 (निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करे, जोकि 3 वर्ष से ज्यादा पुराना न हो)
 10. निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी की तिथि /
 क्या निःशक्तता प्रगतिशील(Progressive) है या नहीं ?
 11. गरीबी रेखा सूचि संख्या /
 सामाजिक आर्थिक जातीय गणना संख्या
 12. क्या प्रार्थी हरियाणा राज्य का अधिवासी है ? हां नहीं
 13. क्या आवेदक सरकारी/अर्ध सरकारी/स्थानीय निकाय/बोर्ड/निगम/या किसी उद्यम में नौकरी कर रहा हैं/सेवानिवृत्त हुआ है ? हां नहीं
 यदि हां, तो पूर्ण विवरण दीजिये
 14. क्या आवेदक सरकारी/अर्ध सरकारी/स्थानीय निकाय/बोर्ड/निगम या किसी उद्यम/कम्पनी, जिसमें किसी भी सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा वित्तीय निवेश/सहायता प्रदान की जाती है, से आय/पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है ? हां नहीं
 यदि हां, तो विवरण दें।
 15. आवेदक की सभी साधनों से वार्षिक आय
 (इसमें वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन, पी0एफ0 पर मिलने वाला ब्याज आदि भी सम्मिलित है।)
 16. मोबाइल फोन नं0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मैं, श्री/ श्रीमती/ कु0 पुत्र/ पुत्री/ पत्नी/ श्री

निवासी

सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/ करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास अनुसार ठीक एवं सत्य है। यदि मेरे द्वारा गलत तथ्य बताकर पेंशन राशि प्राप्त की गई, तो सरकार को मेरी सभी प्रकार की पेंशन राशि बन्द करने व 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की गई राशि को वसूल करने का अधिकार होगा। मेरी पेंशन आई0डी0 के साथ, मेरी आधार संख्या को जोड़ने व बैंकों/सरकारी विभागों के साथ सूचना सांझा करने पर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि मेरे द्वारा तीन मास में एक बार पेंशन राशि बायोमैट्रिक पट्टि/डेबिट वाऊचर से नहीं निकलवाई जाती है या फिर जीवन प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता है तो विभाग को मेरी पेंशन बन्द करने व मेरे खाते में जमा पेंशन राशि को वापिस लेने का अधिकार होगा।

सत्यापन (सम्बन्धित सरपंच/ नम्बरदार/ वार्ड पार्षद/ राजपत्रित अधिकारी द्वारा) आवेदक के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान
नाम पद

निःशक्ति पेंशन

तिथि.....

हस्ताक्षर

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/

सचिव, नगर निगम/ नागरिक सेवा केन्द्र(CSC)

नाम.....

पद.....

नोट :— पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रार्थी को रसीद देवें एवं आवदेन—पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को अग्रेषित करें अन्यथा आवेदन—पत्र कारण सहित प्रार्थी को वापिस लौटायें।

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)
जिला समाज कल्याण अधिकारी

स्वीकृत

अस्वीकृत

नोट:- यदि आवेदन फार्म अस्वीकृत किया है तो अस्वीकृति का कारण देवें.....

तिथि

हस्ताक्षर

- 1 यदि आवेदक निःशक्ति के कारण हाथ के अंगूठे/ उंगली का निशान नहीं लगा सकता, तो उस अवस्था में पांव के अंगूठे का निशान लगाया जाये।
- 2 यदि दोनों हाथ—पांव न होने के कारण, आवेदक हस्ताक्षर करने या अंगूठे/ उंगली का निशान लगाने में असमर्थ हो, तो उसका संरक्षक उसकी और से हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा सकता है।